

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2706
बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए मानदंड

2706. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) अनुसूचित जनजाति समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए/निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): कोई भी व्यक्ति, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर (आरटीएस) परियोजना स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

कोई भी किसान, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं, को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बस्तियों/गांवों के लिए) नई सौर विद्युत योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिह्नित और गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी परिवारों को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ प्रदान करना है, जहां ग्रिड से बिजली उपलब्ध नहीं है और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

एमएनआरई की सौर योजनाओं के तहत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों के मानदंड और ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

‘सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए मानदंड’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.08.2024 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2706 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एमएनआरई की सौर योजनाओं के तहत व्यक्तियों को उपलब्ध प्रोत्साहनों की मानदंड और ब्यौरे

1) प्रधानमंत्री - सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

मानदंड:

स्थानीय डिसकॉम के विशेष आवासीय विद्युत कनेक्शन से जुड़ा कोई भी उपभोक्ता, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है और वह छत/बालकनी या ऊँचाई पर स्थित ढांचों पर आरटीएस प्रणाली स्थापित कर सकता है।

प्रोत्साहन:

इस घटक के तहत सीएफए पैटर्न का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र.सं. | आवासीय खंड का प्रकार | सीएफए | सीएफए (विशेष श्रेणी) |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग) | 30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक |
| 2 | आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित) | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक |
| 3 | आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता) | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं |
| 4 | समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)। | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक |

2) पीएम-कुसुम योजना

घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना

मानदंड:

- किसान के पास अपनी भूमि, अपेक्षाकृत वितरित सब स्टेशन के 5 किमी के दायरे में होनी चाहिए।

प्रोत्साहन:

इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉम को 40 पैसे/किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु./मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) दिए जाते हैं।

डिस्कॉमों को संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीबीआई दी जाती है। अतः, डिस्कॉम को देय कुल पीबीआई 33 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक है।

घटक-ख: 14.00 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना

मानदंड:

- सिंचाई के उद्देश्य के लिए स्टैंडअलोन सौर पंप की स्थापना की जानी चाहिए।
- वह भूमि जिस पर किसान सौर पंप लगाना चाहता है, वहां ग्रिड से जुड़े कृषि पंप नहीं होने चाहिए।
- डार्क जोन क्षेत्र में नए स्टैंडअलोन सोलर पंप की स्थापना की अनुमति नहीं है। तथापि, मौजूदा स्टैंड-एलोन डीजल पंपों को इन क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सौर पंपों में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि वे जल बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करें।
- पंप के आकार का चयन, क्षेत्र में जल स्तर, कवर भूमि और सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की मात्रा के आधार पर किया जाएगा

प्रोत्साहन:

स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 30% सीएफए प्रदान किया जाता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्टैंड-एलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 50% सीएफए उपलब्ध कराई जाती है। घटक ख को 30% राज्य के हिस्से के बिना भी कार्यान्वित किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30 प्रतिशत बनी रहेगी और शेष 70 प्रतिशत किसान द्वारा वहन किया जाएगा।

घटक ग: फीडर स्तर सौरीकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण

मानदंड:

(क) व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन (आईपीएस):

- लाभार्थी के पास सिंचाई के लिए ग्रिड कनेक्टेड पंप होने चाहिए।
- डार्क जोन/ब्लैक जोन के मामले में केवल मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को ही सौरीकृत किया जाएगा, बशर्ते वे जल बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करें।
- किलोवाट में पंप क्षमता के दो गुना तक सौर पीवी क्षमता की अनुमति दी गई है, ताकि किसान सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें और डिस्कॉम को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकें।

(ख) फीडर लेवल सोलराइजेशन (एफएलएस):

- राज्यों को कृषि फीडरों अथवा मिश्रित फीडरों के सौरीकरण के लिए सहायता दी जाती है।
- लाभार्थी पट्टा किराया प्राप्त करने के लिए सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।

योजना के अनुसार वर्तमान में पात्र प्रोत्साहन

(क) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (आईपीएस):

सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 30% सीएफए प्रदान किया जाएगा। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। घटक ग (आईपीएस) को 30% राज्य के हिस्से के बगैर भी कार्यान्वित किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% तक जारी रहेगी और बाकी 70% का वहन किसान द्वारा किया जाएगा।

(ख) फीडर स्तर सौरीकरण (एफएलएस):

कृषि फीडरों को राज्य सरकार द्वारा कैपेक्स या रेस्को मोड में 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के सीएफए के साथ सौरीकृत किया जा सकता है, जैसा कि एमएनआरई द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 1.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जाता है।

- 3) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत नई सौर विद्युत योजना (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बस्तियों/गांवों के लिए)

मानदंड:

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिह्नित गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घर (एचएच)।

प्रोत्साहन:

इस योजना के तहत, एमएनआरई सौर होम लाइटिंग प्रणालियों और सौर विद्युत चालित मिनी-ग्रिड की ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों की स्थापना के लिए 50,000 रु. प्रति एचएच तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।
